

# बिहार सरकार

## ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के विधि सम्मत कार्यान्वयन हेतु शिकायत निवारण के प्रभावकारी संचालन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तरीय शिकायत निवारण अनुश्रवण समिति निम्नवत् गठित की गई है-

1. विकास आयुक्त, बिहार, पटना - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना - सदस्य
3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना - सदस्य
4. आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना - सदस्य
5. अपर सचिव-सह-प्रभारी निदेशक, सामाजिक अंकुषण कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना - सदस्य सचिव
6. गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा पुलिस सेवा से नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य
7. वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा लेखा सेवा से नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य
8. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना जमियंत्रण सेवा से नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य
9. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि - सदस्य

समिति आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी।  
समिति के निम्नवत् दायित्व होंगे:-

1. शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
2. शिकायत प्राप्त करने एवं जाँच की प्रभावकारी व्यवस्था करना।
3. जाँच में पाए जानेवाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित कोई भी शिकायत श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को आवेदन या दूरभाष या ईमेल के माध्यम से निम्न विवरण पर की जा सकती है:-

पता:- श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी,  
ग्रामीण विकास विभाग, पुराना सचिवालय,  
पटना-800015

दूरभाष:- 9431818344

ईमेल:- akvermardd@gmail.com

सचिव

सू.ज.स.वि. 4274 (ग्रा0वि0) 13-14 बिहार

ग्रामीण विकास विभाग